संख्या /27/ /V-2/2019-127(आ0)/2015 टी0सी0–1

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य प्रशासक,**
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
2. **आयुक्त,**
गढ़वाल/कुमायूं मण्डल,
पौड़ी/नैनीताल।
3. **उपाध्यक्ष,**
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 13 सितम्बर, 2019**

विषयः उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित मानकों में प्रस्तावित संशोधन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–888/V–2013–55(आ0)/2006– टी0सी0 दिनांक 12 जून, 2015 के द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में यथावश्यक संशोधन करते हुए प्रख्यापन किया गया था। सम्प्रति वर्ष 2015 के उपरान्त भी समय–समय पर उपविधि यथासंशोधित की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि रियल स्टेट सेक्टर को सुगमता दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के अध्याय–3 के बिन्दु संख्या– 3.9 में पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने संबंधी प्रावधान में निम्नवत् अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

3.9.1– उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त यदि विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से अनुमोदित परियोजना (ग्रुप हाउसिंग) में एक से अधिक बहुमंजिली ईमारतें यथा–दो से अधिक का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो तथा 50 प्रतिशत निर्माण कार्य (कुल प्रस्तावित टावर/फ्लैट्स के सापेक्ष) पूर्ण कर लिया गया हो तो, निर्माणकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् शर्तों/प्रावधानों के अन्तर्गत जिस टावर/फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया हो, उसका पार्ट कम्पलीशन सर्टिफिकेट निर्गत किया जा सकता हैः–

(1) विकासकर्ता द्वारा ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत बहु–बहुमंजिली भवनों में उक्त भवन (Tower)/फ्लैट्स पूर्ण करने पर प्रपत्र संख्या–11, 11(अ), 11(ब), 11(स) तथा 6.1 (III) में उल्लिखित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भवन का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) जिन परियोजनाओं में Multiple Towers की स्वीकृति हो, तो विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक टावर को पूर्ण करने पर सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा उस टावर हेतु Partial कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।

(3) विकासकर्ता द्वारा मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त पूर्ण रूप से निर्मित टावरों के अध्यासियों का RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियेशन) का गठन किया जायेगा।

उपरोक्त पार्ट कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पूर्व संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदित परियोजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधा यथा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, पार्क, सड़क आदि आधारभूत सुविधाएं विकासकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गयी है तथा चालू हालत में हो। उक्त का प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक होगा।

3— उपरोक्तानुसार भवन उपविधि में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त प्रावधान के अतिरिक्त शासनादेश संख्या—888/V—2013—55(आ0)/2006— टी0सी0 दिनांक 12 जून, 2015 एवं तद्विषयक संशोधित शासनादेशों के शेष अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव।

संख्या (27) /V-2/2019-127(आ0)/2015 टी0सी0—1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
02. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
03. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
04. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
06. आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिसद्, देहरादून।
07. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
08. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
09. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।